

(राजस्थान-सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)
पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 83/2023

बउनवान

राज0 सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री हितेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिओम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 11, पुराने हॉस्पिटल के पास, मांगरोल जिला बारों(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स मुकाती ग्रोसरी मार्ट, इटावा रोड, मांगरोल जिला बारों (राज.)
2. मैसर्स मुकाती ग्रोसरी मार्ट, इटावा रोड, मांगरोल जिला बारों (राज.)
3. श्री तेजकरण गालव पुत्र श्री कमल शंकर निवासी वार्ड नं. 02, इटावा रोड, मांगरोल जिला बारों मैसर्स लालचंद कमल शंकर चौपड़ा, कमल शंकर गालव बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, काज्याटोडी, मांगरोल जिला बारों
4. मैसर्स लालचंद कमल शंकर चौपड़ा, कमल शंकर गालव बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, काज्याटोडी, मांगरोल जिला बारों
5. श्री ओमप्रकाश शारदा पुत्र श्री नवल किशोर शारदा निवासी कोली मौहल्ला, जैन मंदिर के पास, मनोहरस्थाना झालावाड़ मैसर्स गोरधन लाल सांवर लाल, 22 कृष्णा नगर, रंगबाड़ी कोटा(राज.)
6. मैसर्स गोरधन लाल सांवर लाल, 22 कृष्णा नगर, रंगबाड़ी कोटा(राज.)
7. श्री कमलेश जटरे पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद जटरे निवासी 243/ए, भक्ति नगर एवन्व्यू एबी रोड, देवास मकसी रोड, बिलावली देवास, मध्यप्रदेश 455001(नॉमिनी) मैसर्स पवनश्री फूड इंटरनेशनल प्रा.लि. 164, भगवानदीन नगर, सपना संगीता रोड के पीछे, इंदौर मध्यप्रदेश-452001
8. मैसर्स पवनश्री फूड इंटरनेशनल प्रा.लि. 164, भगवानदीन नगर, सपना संगीता रोड के पीछे, इंदौर मध्यप्रदेश-452001

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) 52 एफएसएसएक्ट, 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2- स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 1,2,3,4)
3- अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 05 एवं 06)
4- श्री महेन्द्र चौराड़िया (अप्रार्थी क्र. 07 व 08 की ओर से)
कंपनी के प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 12.01.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.01.2023 को मैसर्स मुकाती ग्रोसरी मार्ट, इटावा रोड, मांगरोल जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ श्री हितेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिओम शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुओनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ घी (श्रीधी) मूल्य प्रत्येक 500 एमएल के 10 पीस रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ घी (श्रीधी) मूल्य गत्ते पैक 500 एमएल में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ घी (श्रीधी) मूल गत्ते पैक 500 एमएल के 04 मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री हितेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिओम शर्मा(विक्रेता एवं मालिक) को 1120/- रुपये (अक्षरे ग्यारह सौ बीस रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (श्रीधी) मूल गत्ते पैक 500 एमएल के चारों भागों पर अलग अलग लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1636 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1636 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री हितेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिओम शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सीलड लिफाफे मे स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/47 दिनांक 06.02.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 48/PHL/kota/Act/2023/48 दिनांक 23.01.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (श्रीधी) मूल गत्ते पैक 500 एमएल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत मिथ्याछाप (Misbrand) होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 27.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया जिसकी रसीद पत्रावली मे संलग्न है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को रूक रूक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई उनके बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी क्रम 07 व 08 की ओर से मय **Authorisation Latter** के कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में श्री महेन्द्र चौराडिया द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत न किया जाकर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ घी (श्रीधी) मूल गत्ते पैक 500 एमएल को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत मिथ्याछाप (Misbrand) होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा दौराने बहस कहा गया कि हमारे द्वारा कम्पनी से बिल के जरिये खाद्य पदार्थ घी (श्रीधी) मूल गत्ते पैक 500 एमएल आम जनता को बिक्रय हेतु कय किया गया था। जो खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 48/PHL/kota/Act/2023/48 दिनांक 23.01.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। जिसमे हमारी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अप्रार्थी क्रम 7 व 8 की ओर से मय **Authorisation Letter** के उपस्थित कम्पनी के प्रतिनिधी श्री महेन्द्र चौराडिया द्वारा कहा गया कि पैकिंग नियमों मे बाद मे परिवर्तन किया गया है। जिसके अनुसार हमारी कम्पनी द्वारा नई पैकिंग मे सुधार भी कर लिया गया है। अतः प्रकरण मे हमे सुधारात्मक निर्देश प्रदान किये जाकर, हमारे विरुद्ध प्रस्तुत किया गया परिवाद खारिज किया जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 48/PHL/kota/Act/2023/48 दिनांक 23.01.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जयें पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जांच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ घी (श्रीधी) मूल गत्ते पैक 500 एमएल खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 48/PHL/kota/Act/2023/48 दिनांक 23.01.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 7 व 8 को कुल जुर्माना राशि 1,10,000/- रुपये (अक्षरे एक लाख दस हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 7 व 8 उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **12.01.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारों (राज.)